ग्राम पंचायत मूहल, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना (क):—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मूहल, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मूहल में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान :—

1	श्री संजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—

1	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत मूहल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में अन्तर पाया जाना	0.06
2	6	अनुदान का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.14
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.85
4	7.2	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.05
5	8	रॉयल्टी की वसूली न करना ।	0.34
6	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना भुगतान करना।	0.98
7	10	निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान करना ।	0.07
8	11	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में अन्तर बारे	4.83

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई । पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से

अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । वर्तमान अकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019

क0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत / अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । (दिनांक 10 से 12.01.22 के दौरान विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)
2	4 व 4.1	अनिर्णीत
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	4.3	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
5	5 (i) (ii)	निर्णीत । (विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)
6	5 (1)	निर्णीत । (विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)
7	5 (2)	निर्णीत । (विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)
8	6	निर्णीत । (विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)
9	7	अनिर्णीत ।
10	8	अनिर्णीत ।
11	9	निर्णीत । (विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)
12	10	अनिर्णीत ।
13	11	निर्णीत । (विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)

14	12	निर्णीत । (विशेष पैरा समायोजन अभियान के तहत जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में)

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मूहल, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.06.2024 से 18.06.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एव व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	08 / 2022	03 / 2023
2023–2024	11 / 2023	03 / 2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :– इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मूहल, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 / – बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा

विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 246 दिनांक 18.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत मूहल, विकास खण्ड देहरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत मूहल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	663801.81	163751.00	230761.00	1058313.81	44903.00	1013410.81
2023–24	1013410.81	119293.00	201690.45	1334394.26	44226.00	1290168.26

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत मूहल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्श	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	4213394.33	4389011.00	108523.99	8710929.32	4695915.30	4015014.02
2023–24	4015014.02	3225195.00	108778.00	7348987.02	3834894.75	3514092.27

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,MPLAD,RGSA,SDRF,WDF

A/c No. 2008005343	KCCB DEHRA	1783389.45
A/c No. 50055753094	KCCB Dehra	27278.75
A/c No. 50055753005	KCCB Dehra	328299.5
A/c No.50055768136	KCCB Dehra	116345
A/C No. 50100199441993	HDFC Dehra	88247.6
A/C No. 50100358005146	HDFC Dehra	1822214.42
A/c No. 100167497269	Indusind D/Shala	346232

A/c No 50068587394	KCCB Muhal		233450
A/c No 4067000100471046	PNB Dehra		64784
cash in hand			139
		Total	4810379.72

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		1290168.26
Cash Book Balance on 31.03.2024		27278.75
Cash Book Balance on 31.03.2024		165469
Cash Book Balance on 31.03.2024		328299.5
Cash Book Balance on 31.03.2024		1822214.42
Cash Book Balance on 31.03.2024		233450
Cash Book Balance on 31.03.2024		116345
Cash Book Balance on 31.03.2024		88247.6
Cash Book Balance on 31.03.2024		321772
Cash Book Balance on 31.03.2024		64784
Cash Book Balance on 31.03.2024		346232
	Total	4804260.53
	diffrence	6119.19

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.06 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹6,119/– पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाती है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 247 दिनांक 18.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा

अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व अन्तर के कारणों से अवगत करवाते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 248 दिनांक 18.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. **निवेशः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹ 12,90,168/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 249 दिनांक 18.06.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर लिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹ 35.14 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹3514092.47 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान की राशि को व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.85 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय/अदत्त (outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व (सम्पत्ति कर) ₹84,800/–वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	22750	30600	53350	0	53350
2023–2024	53350	31450	84800	0	84800

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250 दिनांक 18.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹84,800/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹4,975/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि०प्र० शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹4,975/–**प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ।
1	2022–23	1175.00
2	2023–24	3800.00

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251 दिनांक 18.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.34 लाख की रॉयल्टी की नियमानुसार कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट

पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹34,291/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 252 दिनांक 18.06.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹34,291/–के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार अपेक्षित समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रायल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24	रेत		70.38	1.62	114.01	80	9121.00
	बजरी		108.76	1.52	165.31	80	13225.00
	बोल्डर		27.58	2.24	61.77	80	4942.00
	ईटें	2900 नं0					145.00
						कुल :	**27433.00**
					पैनल्टी 25 %		6858.00
					कुल योग:		**34291.00**

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है । शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके रॉयल्टी की वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार वसूली करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.98 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹97,551/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त

सामग्री के माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253 दिनांक 18.06.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः नियमानुसार बाजारीय स्पर्धा का लाभ न उठाने बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत व्यय/क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
27, 30.06.22	बिल नं0 3387 दि0 1.06.22 रामेश्वर हार्डवेयर स्टोर	सरिया	60538.00	नि0 पुली व रास्ता रमेश चन्द के घर से आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी SDRF
229, 31.03.23	बिल नं0 2449 दि0 10.12. 22 श्री सॉई हार्डवेयर	सरिया	9222.00	नि0 एम्बुलैंस रोड रक्षपाल के घर से चरण दास के घर तक 15th FC
28,	बिल नं0 2046 दि0 07.06.22	सरिया	8188.00	नि0 शौचालय आयुर्वेदित

20.05.23	श्री सॉई हार्डवेयर स्टोर			डिस्पैन्सरी
81, 18.12.23	बिल नं0 3412 दि0 24.11.23 श्री सॉई हार्डवेयर स्टोर	सरिया	8373.00	नि0 लोक मित्र केन्द्र RGSA
87, 02.01.24	बिल नं0 220 दि0 29.12.23 मै0 धीमान फैब्रिकेशन	जला	11230.00	मु0 रास्त मेन रोड से मेहर सिंह के घर तक SDRF
			97551.00	

10. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों की अपेक्षा अधिक दर से ₹0.07 लाख के अधिक भुगतान बारे ।

वाउचर सख्या 83 दिनांक 18.12.23 के अंकेक्षण पर पाया कि पंचायत में एमएस पाईप, एन्गल के कय हेतु न्यूंनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 धीमान फैब्रीकेशन की दरें अनुमोदित की गई थी । निविदा में सामग्री में दरों के अतिरिक्त जी0एस0टी0 अलग से लेने की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी । अर्थात निविदा में दरें जी0एस0टी0 सहित भरी गई थी, लेकिन बिलों के अंकेक्षण में पाया कि आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254 दिनांक 18.06.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायें अन्यथा ₹7233.00 की राशि की वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)	कार्य का नाम
83, 18.12.23	488, 25.11.23	एस0एस0 पाईप इत्यादि	47418.00	40185.00	7233.00	नि0 लोक मित्र केन्द्र पंचायत घर RGSA

11. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹4.83 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 4,82,824.68 की राशि का निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया जो पंचायत के वित्तीय लेखों की सच्ची व सही स्थिति नहीं दर्शाता हैः—

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	4321435.85
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	4804260.53
अन्तर	₹	482824.68

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 255 दिनांक 18.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 11 दिनांक 26.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन् के दृष्टिगत अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में त्रुटियों, अपूर्णता के फलस्वरूप किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

13. **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15. **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

02 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

4388 – 4392 का0 /50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)241/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मूहल, विकास खण्ड देहरा जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0 / 50

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Muhal" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	ZP	25738.75	0	734	26472.75	0	26472.75
2	5 SFC	228300	557181	0	785481	554065	231416
3	VKVNY	250722.5	19000	5582	275304.5	108813	166491.5
4	14TH FC	871063.46	0	21162.99	892226.45	697070	195156.45
5	15TH FC	1547924.02	1044174	47547	2639645.02	716632.3	1923012.72
6	Livelihood	220276	0	6283	226559	0	226559
7	SDP	158116	529000	5171	692287	439862	252425
8	MPLAD	122259.6	24737	2904	149900.6	64278	85622.6
9	SDRF	716031	407500	0	1123531	795876	327655
10	WDF	72963	0	1994	74957	11900	63057
11	RGSA	0	500000	17146	517146	0	517146
12	MNREGA	0	1307419	0	1307419	1307419	0
	Total Rs.	4213394.33	4389011	108523.99	8710929.32	4695915.3	4015014.02

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Muhal" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	ZP	26472.75	0	806	27278.75	0	27278.75
2	5 SFC	231416	335333	0	566749	401280	165469
3	VKVNY	166491.5	390000	6616	563107.5	234808	328299.5
4	14TH FC	195156.45	0	6093	201249.45	201249.45	0
5	15TH FC	1923012.72	509208	59110	2491330.72	669116.3	1822214.42
6	Livelihood	226559	0	6891	233450	0	233450
7	SDP	252425	249000	5269	506694	390349	116345
8	MPLAD	85622.6	0	2625	88247.6	0	88247.6
9	SDRF	327655	540500	0	868155	546383	321772
10	WDF	63057	0	1727	64784	0	64784
11	RGSA	517146	0	19641	536787	190555	346232
12	MNREGA	0	1201154	0	1201154	1201154	0
	Total Rs.	4015014.02	3225195	108778	7348987.02	3834894.75	3514092.27

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, ,SDP,MPLAD,RGSA,SDRF,WDF,Livelihood,		
A/c No. 2008005343	KCCB DEHRA	1783389.45
A/c No. 50055753094	KCCB Dehra	27278.75
A/c No. 50055753005	KCCB Dehra	328299.5
A/c No.50055768136	KCCB Dehra	116345
A/C No. 50100199441993	HDFC Dehra	88247.6
A/C No. 50100358005146	HDFC Dehra	1822214.42
A/c No. 100167497269	Indusind D/Shala	346232
A/c No 50068587394	KCCB Muhal	233450
A/c No 4067000100471046	PNB Dehra	64784
cash in hand		139
	Total	4810379.72

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)	1290168.26
Cash Book Balance on 31.03.2024	27278.75
Cash Book Balance on 31.03.2024	165469
Cash Book Balance on 31.03.2024	328299.5
Cash Book Balance on 31.03.2024	1822214.42
Cash Book Balance on 31.03.2024	233450
Cash Book Balance on 31.03.2024	116345
Cash Book Balance on 31.03.2024	88247.6
Cash Book Balance on 31.03.2024	321772
Cash Book Balance on 31.03.2024	64784
Cash Book Balance on 31.03.2024	346232
Cash Book Balance on 31.03.2024	
Total	4804260.53
diffrence	-6119.19

Secretary
Gram Panchayat......Muhal
Dev. Block Dehra, (Kangra) H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Muhal

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	663801.81	163751	230761	1058313.81	44903	1013410.81
2023-24	1013410.81	119293	201690.45	1334394.26	44226	1290168.26

Secretary
Gram Panchayat Muhal
Dev. Block Dehra, (Kangra) H.P.

परिशिष्ट-2

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के संदर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23& 2023-24in r/o GP

Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	22750	30600	53350	0	53350
2023-24	53350	31450	84800	0	84800

Secretary
Gram Panchayat Muhal
Dev. Block Dehra. (Kangra) H.P.

0

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

Name of Gram Panchayat Muhal Dev. Block Dehra Gopipur Distt Kangra (H.P)

			2022-2023								
sr. no.	name of work	head	vendor name	voucher no and dat	bill no	bill date	sand cft	bajri cft	boulder	bricks no.	amount
1	नि० एम्बुलेंस रोड पक्के रास्ते से रामपाल के घर तक	5th F.C.	Chambyal brothers	186/02-03-2023	57			3 cum			
2	नि० पक्का रास्ता लिंक रोड से सिद्ध बाबा पीठ देवस्थान वार्ड न० 3	SDP	Chambyal brothers	192/02-03-2023	56			9.50 cum			
3	पेवर ब्लाक व् इंटरलॉकिंग टाइल्स सुरेश कमार की गौशाला से देशराज के घर तक	SDP	Vikram Syal	194/14-03-2023	202		8 cum	10.90 cum			
4	पेवर ब्लाक व् इंटरलॉकिंग टाइल्स सुरेश कमार की गौशाला से देशराज के घर तक	SDP	Vikram Syal	195/14-03-2023	203		23 cum				
5	मु० कुआं रमेश चन्द के घर के पास	14 th FC	Vikram Syal	201/22-03-2023	206		2.40 cum	.60 cum			
6	मु० कुआं रमेश चन्द के घर के पास	15 th FC	Chambyal brothers	202/22-03-2023	207				.72 cum		
7	मु० कुआं देवराज की जमीन में	14 th FC	Chaudhary work cont.	212/27-03-2023	172		3.40 cum	8.70 cum	.80 cum		
8	नि० खेल मैदान GSSS मुहल	14 th FC	Chaudhary work cont.	213/27-03-2023	170			19 cum			
9	नि० लिंक रोड परस राम के घर से पुली तक	MPLAD	Chaudhary work cont.	214/29-03-2023	154			6 cum			
10	नि० रास्ता पब्लिक नल से नस्त राम के घर तक	VKVNY	Chaudhary work cont.	216/29-03-2023	151			6 cum			
11	नि० पक्का पाथ जगदीश चन्द के घर से रिडक राम की दुकान तक	VKVNY	Chaudhary work cont.	217/29-03-2023	171		9.48 cum	1.76 cum	6.05 cum		
12	मु० लिंक रोड लोकराज के घर से अजय कमार के घर तक	SDRF	Chaudhary work cont.	219/29-03-2023	153			12.30 cum			
13	मु० लिंक रोड उत्तम चन्द के घर से मरियाना संद तक	SDRF	Chaudhary work cont.	221/29-03-2023	152			2 cum			
14	नि० एम्बुलेंस रोड लिंक रोड से पूर्व प्रधान PTA सतीश बगैरा के घर तक	5th F.C.	Chaudhary work cont.	223/29-03-2023	155				3.50 cum		
15	मु० कुआं राजकुमारी की जमीन में	15th FC	Vikram Syal	231/31-03-2023	213		1.50 cum	.72 cum		1500 N0.	
16	मु० कुआं राजकुमारी की जमीन में	15th FC	Chambyal brot	232/31-03-2023	60				.80 cum		
17	मु० कुआं मान चन्द की जमीन में	15th FC	Vikram Syal	235/31-03-2023	212		1.30 cum	.70 cum		1400 No.	
18	मु० कुआं मान चन्द की जमीन में	15 th FC	Chambyal brothers	236/31-03-2023	61				.80 cum		
							49.08 cum	81.18 cum	27.58 cum	2900 N0.	

23